छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

नया रायपुर, दिनांक......11/3/15....

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

<u>सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना</u> :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम ''सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना'' होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 4,200/– एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह में) में रूपये 2,800/– प्रसूति लाभ एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रूपये 3,000/– की सहायता पुरूष कर्मकार को बच्चे के जन्म के बाद देय होगी।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

1.4 प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी।

1.5 प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा।

1.6 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 सफाई कर्मकार चाहे पुरूष हो या स्त्री, पति या पत्नि मे से कोई भी सफाई कर्मकार के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा।

2.2 किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से कार्य कर रहे सफाई कर्मकारों की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ मंडल द्वारा नहीं दिया जावेगा।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

3.1 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जोवगा।

3.2 आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

3.3 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

4 लाभ प्रदाय करने की प्रकिया – आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदक के खाते में निर्धारित राशि जमा किया जावेगा।

5 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा
आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............... ....(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग